IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सीधी जिले के जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास में शासकीय योजनाओं एवं नीतियों की समीक्षा

दुबे, प्रीती[1] एवं सिंह, डॉ. प्रभाकर[2]

1. शोधार्थी, वाणिज्य विषय, शोध केन्द्र, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी (म.प्र.), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
2. प्राध्यापक, वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी (म.प्र.), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश : प्रस्तुत शोध आलेख मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास में सरकारी योजनाओं के बहुआयामी प्रभावों की समीक्षा पर आधारित है। जिले में जनजातीय आबादी अत्यधिक है, यहाँ 6 प्रकार के जनजातीय समूह पाये जाते हैं। प्रत्येक जनजातीय समूहों की सामाजिक प्रथायें व आर्थिक व्यवस्थायें अलग–अलग है। इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से कई तरह की सरकारी योजनाएँ संचालित हैं। वर्तमान शोध साहित्यों, नीतिगत दस्तावेजों और अनुभवजन्य साक्ष्यों के विश्लेषण के माध्यम से, यह शोध आलेख उन विविध तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे सरकारी योजनाओं ने जिले के जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। पूर्व काल से ही सीधी जिले में जनजातीय समुदायों का सामाजिक–आर्थिक स्वरूप हाशिये पर होने तथा कृषि, वन संसाधनों और शिल्पकला जैसी पारंपरिक आजीविकाओं पर उनकी निर्भरता पर ज़ोर देता है। सीधी जिले में जनजातीय समुदायों के बीच आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को गति देने में सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीतिगत ये योजनाएँ जनजातियों के समावेशी और सतत विकास की प्रक्रियाओं को निरंतर प्राथमिकता देने पर जोर देती हैं। जिससे जनजातीय आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इनके समावेशी विकास व हस्ताक्षेपों के प्रभावों को अधिकतम करने के लिए सामुदायिक सहभागिता, सहभागी निर्णय लेने और मज़बूत निगरानी तंत्र के महत्व पर भी ज़ोर देता है।

मुख्य शब्द : जनजाति, सामाजिक–आर्थिक स्थितियाँ; शासकीय योजनाएँ; जनजातियाँ; सीधी

1. परिचय

भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी मुख्य विशेषता संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं, भाषाओं, जातियों और पंथों की समृद्ध विरासत है। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग अनूठी सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरायें हैं। इन विविध समूहों में, जनजातीय समुदाय अत्यधिक महत्व रखते हैं। 'आदिवासी' कहे जाने वाले इन समुदायों का अर्थ है 'मूल निवासी' या 'किसी भू–क्षेत्र के मूल निवासी' के रूप में है। ये आदिवासी भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपनी विशिष्ट छवि और अमूल्य धरोहरों को सजोये हुये हैं। जनजातीय आबादी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ–साथ केन्द्र शासित राज्यों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है।

जनजातीय समुदायों का सामाजिक विकास इनकी आर्थिक प्रगति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हॉलांकि, इन्हें अक्सर अपनी सामाजिक–आर्थिक उन्नति में बाधा डालने वाली कई परिशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव, स्वास्थ्य सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुँच, बुनियादी ज़रूरतों की अपर्याप्त पूर्ति, संसाधनों और परिसंपत्तियों पर सीमित नियंत्रण इनकी स्थिति को व्यक्त करती है। साथ ही इनमें शिक्षा व कौशलता की कमी, कुपोषण, अपर्याप्त आश्रय, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक सीमित पहुँच है। हिंसा और अपराध, प्रौद्योगिकियों के प्रति संवेदनशीलता और राजनीतिक हाशिये पर होना भी इस समुदाय में शामिल है।

जनजातीय समुदायों के लोगों के सामाजिक क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और जल आपूर्ति जैसे बुनियादी क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस तरह की बुनियादी जरूरतें इनके आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। इन आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके, जनजातीय समुदाय अपने समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। इस तरह सरकार मानवीय पूँजी के विकास को बढ़ावा देकर इनके सतत आर्थिक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। सरकार द्वारा किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाये जाते हैं–

1. आदिम लक्षणों के संकेत,
2. विशिष्ट संस्कृति,
3. भौगोलिक अलगाव,
4. बड़े समुदाय के साथ संपर्क में संकोच,
5. आर्थिक पिछड़ापन

हॉलांकि, उक्त मानदंड का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं हैं। लेकिन, सरकार द्वारा इनके समग्र विकास के लिये उक्त मानदंड स्वीकार किये जाते हैं। जनजातियों के लिये ये मानदंड पहली बार सन 1931 की जनगणना में रखी गई थी। उक्त बाते प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (केलकर समिति), 1955 की रिपोर्टें; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियों के संशोधन पर सलाहकार समिति (लोकुर समिति) द्वारा इनके समग्र हितों के मार्ग को प्रसस्त किये हैं। 1965 का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 की संसद की संयुक्त समिति और 1969 की चंदा समिति की रिपोर्ट में भी उक्त मानदण्ड के आधार पर इनके लिये शासकीय योजनायें तैयार की जाती रही हैं।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, सीधी जिले की कुल जनजातीय जनसंख्या 1127033 है। जिले में संख्यात्मक रूप से प्रमुख जनजातीय समूहों में गोड़, बैगा, अगरिया, खैरवार, कोल एवं पनिका आदि हैं। इस शोध आलेख में सीधी जिले में निवास करने वाली जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा की गई है।

2. जनजातीय समुदायों का परिचयात्मक विवरण :

सीधी विविध संस्कृतियों से समृद्ध एक जिला है। यह अंचल अपने आरंभिक काल से ही मानव प्रगति के सभी चरणों का प्रतिनिधित्व करता आया है। यहाँ बैगा व अगरिया पाषाण युग के आदिम लोगों की तरह है। जबकि गोड़, कोल, खैरवार व पनिका खेतिहर जनजातियों के लिये जानी जाती हैं। अधिकांशतः ये जनजातियाँ कृषि संबंधी कार्यो में संलग्न हैं। ये लोग मुख्यतः जिले के सिहावल, रामपुर नैकिन व सीधी जैसे विकासखण्डों के उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में बसे हुये हैं। वहीं बैगा, पनिका व खैरवार जिले के कुसमी तथा मझौली विकासखण्ड के पठारी क्षेत्रों में अधिक पाये जाते हैं। अगरिया जनजाति के लोग लोहा गलाने के पारंपरिक पेशे में संलग्न हैं। जिले के सभी जनजातीय समुदाय के लोग विभिन्न त्यौहारों, समारोहों और मेलों

में अपने देवी–देवताओं की पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और गीतों के सुनाते हैं। वहीं कुछ जनजातियाँ छोटे–मोटे व्यवसाय से भी जुड़े हुये हैं।

3. जनजातीय समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

सीधी जिले में जनजातियों के आर्थिक विकास पर किये गये सर्वेक्षण कार्य के दौरान पता चला है कि इस जिले की अधिकांश जनजातियाँ निरक्षर हैं। एकल परिवार प्रणाली अपनाते हैं और इनके अपने घर कच्चे बने हुये हैं। अधिकांश जनजातियाँ कृषि व कृषि से संबंध गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। वहीं कुछ जनजातियाँ खेतिहर मजदूरी का कार्य करती हैं। चूँकि, उनके पास आधुनिक कृषि पद्धतियों में कोई कौशलता नहीं है। इसलिए ये एकल फसल पद्धति को अपना कर कृषि कार्य करते हैं। हॉलांकि, कृषक जनजातियाँ एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण से आधुनिक कृषि उपकरण व वित्तीय सहायता प्राप्त किये हैं। लगभग 77 प्रतिशत जनजातियों की आय 1500 रुपये प्रति माह से कम है। ये लोग अपनी कमाई का अधिकांश भाग भोजन व दैनिक जरूरतों पर खर्च करते हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि सरकारी नीतियों/योजनायें जनजातियों के जीवन स्तर के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध निर्मित करती हैं।

सीधी जिले में जनजातीय विविधता के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला है कि जिले के कुसमी विकासखण्ड में गोड़ व बैगा जनजातियों का प्रभुत्व सबसे अधिक है। कुसमी की तुलना में सीधी विकासखण्ड के गोड़ जनजाति में शैक्षिक स्थिति काफी बेहतर है। स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बाल टीकाकरण के संदर्भ में, कुसमी विकासखण्ड संम्पूर्ण जिले में सबसे पीछे हैं। जिले के कुसमी व मझौली विकासखण्ड के 90 प्रतिशत जनजातियाँ मौसमी मजदूरी करने के लिये जिले के बाहर अन्य राज्यों में उत्प्रवास हेतु जाते हैं। वहीं भूमि जोत के संदर्भ में अधिकांश जनजातियों के पास बहुत छोटी भूमि है। इनकी यह भूमि जोत आकार पैतृक प्रकृति की है। सिवाहल विकासखण्ड में गैर–संस्थागत ऋणग्रस्तता कुसमी विकासखण्ड की तुलना में अधिक है। हॉलांकि, जिले के सभी विकासखण्डों की जनजातियाँ सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूक है। सीधी जिले में विकास कार्यक्रमों व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले जनजातीय लोगों का प्रतिशत पूर्व के वर्षो की तुलना में काफी बढ़ गया है।

सीधी जिले के जनजातियों के आर्थिक विकास में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये वन इन्हें कंद, जड़, पत्ते, फल, पशु–पक्षियों के मांस के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। वहीं वनों द्वारा प्राप्त औषधीय जड़ी–बूटियों से ये लोग बीमारियों का इलाज करते हैं। जंगलों से प्राप्त अधिकांश लघु वनोपजों का उपयोग ये लोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये करते हैं। हॉलांकि, जिले में यह कृषि–वन आधारित अर्थव्यवस्था प्रकृति के व्यवहार के अधीन है। चट्टानी भूभाग, बंजर मिट्टी, विचित्र मौसमी प्रकृति, चरम मौसमी परिस्थितियाँ, पानी के बारहमासी स्रोतों का अभाव, शिकारी पक्षी और जानवर तथा साहूकारों और मैदानी इलाकों के किसानों का परजीवी नियंत्रण उन्हें निरंतर गरीबी में जीने के लिए मजबूर करता है।

4. जनजातीय समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय समुदायों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। ये योजनाएँ जनजातियों के सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिऐ अधिक प्रभावी है। ऐसी सभी योजनाएँ जनजातीय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायता करती हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं जो सीधी जिले के जनजातीय समुदायों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं–

4.1. शिक्षा और कौशल विकास :

जनजातीय बालिकाओं को जेईई, नीट, क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आकांक्षा योजना के तहत मुफ्त कोचिंग और छात्रावास सुविधा दी जाती है। जनजातीय बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्कूल व कालेज स्तर पर प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय महिलाओं को हस्तशिल्प, सिलाई, और अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के उदद्देश्य से कौशल विकास की योजनाएँ लागू की गई है। इन योजनाओं से प्रशिक्षण प्राप्त कर जनजातीय महिला व पुरूष अपना स्वरोजगार स्थापित करते हैं।

4.2. बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना :

जनजातीय बालिकाओं को विज्ञान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना लागू की गई है। ऐसी सभी जनजातीय छात्रायें जो कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। उन्हें योजना के तहत 50000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु यह योजना काफी कारगर है।

4.3. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान :

जनजातीय किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और बाजार से जोड़ने हेतु यह योजना चलाई गई है। यह एक केंद्रीय योजना है। यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई है, जिसमें जनजातीय गाँवों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। योजना के द्वारा उन्नत बीज, जैविक खाद, और सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना। इस योजना से फसल विविधीकरण, जैविक खेती और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में प्रगति को बनाये रखने हेतु लागू की गई है।

4.4. आहार अनुदान योजना :

विशेष पिछड़ी जनजातियों जैसे बैगा व कोल जनजाति की महिलाओं के पोषण और आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत ऐसी जनजातीय महिलाओं को 1500 रूपये मासिक प्रदाय किया जाता है। इस योजना के तहत आदिवासी व गरीबों के लिये खाद्यान्न का वितरण भी किया जाता है।

4.5. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना :

खेती, बागवानी, और संबद्ध गतिविधियों में जनजातीय समुदाय की आय में वृद्धि हेतु यह योजना विशेष रूप से प्रभावी है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों को कृषि, पशुपालन, और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के द्वारा ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाती है।

4.6. सिंचाई और जल संरक्षण योजनाएँ :

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल प्रबंधन और संरक्षण हेतु यह योजना लागू की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, तालाब निर्माण और चेक डैम निर्माण कर वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम करना और फसल चक्र में सुधार करने हेतु यह योजना अधिक कारगर है।

4.7. मत्स्य पालन और पशुपालन योजनाएँ :

जनजातीय समुदायों में आजीविका के स्रोतों में विविधता लाने के लिये विशेष योजनाएँ भी चलाई गई हैं। ऐसे योजनाओं से ये लोग मत्स्य पालन और पशुपालन का कार्य करते हैं। मत्स्य पालन के लिए शासन स्तर पर तालाब निर्माण और मत्स्य बीज की आपूर्ति की जाती है। पशुपालन के लिए बकरी, मुर्गी, और डेयरी इकाइयों हेतु सब्सिडी भी प्रदाय की जाती है।

4.8. टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना :

जनजातियों के लिये छोटे पैमाने की कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु यह योजना संचालित की गई है। जनजातीय समुदायों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना से बागवानी, सब्जी उत्पादन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में जनजातीय परिवारों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होती है।

4.9. प्रधानमंत्री ग्रामीण सकड़ योजना :

सड़के स्थानीय विकास को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण अंचलों व आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संम्पर्क निर्मित कर बुनियादी विकास सुनिश्चित करना है। ग्रामीण सड़कों के द्वारा जिले की सड़कों से सम्पर्क मजबूत किया जाता है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये सड़क और परिवहन सेवाओं का विकास आवश्यक है।

4.10. मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना :

सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान हेतु यह योजना चलाई गई है। आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उददेश्य से यह योजान लागू की गई है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 55000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें कन्या के लिए गृहस्थी संबंधी सामग्री और अन्य खर्च इत्यादि सभी इसमें शामिल है।

4.11. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना :

सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने और जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है। जनजातीय महिला या पुरुष के गैर–जनजातीय व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि संयुक्त रूप से 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

4.12. स्वास्थ्य और पोषण :

धरती आबा अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करायी जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण, रक्त अल्पता आदि की जाँच और उपचार किये जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की योजना प्रारंभ की गई है। इसी तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत जनजातीयों को 5 लाख रुपये तक के उपचार कराने की सुविधा अस्पतालों में दी जाती है। पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सुधार हेतु खाद्यान्न सामग्री वितरित की जाती है।

4.13. स्वरोजगार योजनाओं में महिलाओं के लिए प्राथमिकता :

जनजातीय महिलाओं को उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने के उददेश्य से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजनाएँ शुरू की गई है। योजना के तहत जनजातीय महिलाओं को स्वरोजगार विशेषकर छोटे व्यवसायों और हस्तशिल्प जैसे उद्यम को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में 10000 से 50 लाख रुपये तक दिये जाते हैं। साथ ही योजना के तहत 5–7 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाता है।

4.14. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना :

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से 10 जून 2023 को योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत राज्य की 23 से 60 वर्ष की आयु की सभी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके

जीवन स्तर को सुधारना तथा परिवार और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। यह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और ग्रामीण–शहरी दोनों वर्गों की महिलाओं के जीवन को सकारात्मक दिशा देने हेतु लागू की गई है। यह योजना महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को मजबूत करने की एक ठोस पहल है।

4.15. वनाधिकार अधिनियम के तहत कृषि भूमि आवंटन :

जनजातीय समुदायों को भूमि स्वामित्व के माध्यम से कृषि में आत्मनिर्भर बनाने हेतु वनाधिकार अधिनियम योजना लागू की गई है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जनजातीय समुदायों को वन भूमि पर खेती करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। योजना के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पत्र (पट्टा) प्रदान किये जाते हैं। सीधी जिले में अब तक हजारों जनजातीय परिवारों को वन भूमि के पट्टे दिये गये हैं। इस पट्टे की भूमि से जनजातीय लोग कृषि और बागवानी जैसी आर्थिक गतिविधि आरंभ करते हैं। जनजातियों में खेती के लिए स्थायी भूमि उपलब्धता और आजीविका में सुधार हेतु यह योजना कारगर सिद्ध हुई है।

4.16. पेसा एक्ट के तहत जनजातियों की भागीदारी :

स्थानीय शासन में जनजातियों की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाने हेतु पेसा एक्ट तैयार किया गया है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को वर्तमान में विस्तारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत जनजातियों को ग्राम सभाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

4.17. संरक्षण–सह–विकास योजना :

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए यह योजना एक विशेष कार्यक्रम के रूप में संचालित है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रभावी रूप से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक–आर्थिक विकास की समग्र योजना बनाना है, जिसमें आवास विकास दृष्टिकोण अपनाकर और उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके एक स्पष्ट प्रभाव डाला जा सके। कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

- बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण
- आंतरिक सड़कों/नालियों का निर्माण
- आजीविका संबंधी हस्तक्षेपों के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्त उपलब्ध कराना।
- कमजोर जनजातीय समूहों की कोई अन्य आवश्यकता जिसके लिये किसी अन्य सरकारी कार्यक्रम/योजना से कोई स्रोत उपलब्ध न हो।

5. जनजातीय समुदायों पर योजनाओं की प्रभावशीलता

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय आबादी के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाये गये हैं। इन योजनाओं की प्रभावशीलता जनजातीय समुदाय में देखने को मिलती है। समग्र रूप से सरकारी योजनाएँ जनजातियों के जीवन में निम्न बदलाव ला सकती हैं–

5.1. शैक्षिक विकास : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिले के शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, एकीकृत छात्रावासों, आश्रम विद्यालयों, मैट्रिकोत्तर छात्रावासों, आदिवासी विद्यालयों, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र कोचिंग कार्यक्रमों के रखरखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। जिले के जनजातीय छात्र व छात्राओं के लिये पोस्टमैट्रिक व प्रीमैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय तथा आदिवासियों के लिए कन्या शिक्षा परिसर (आवासीय) विद्यालयों की स्थापना की गई है। साथ ही जनजातीय बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की सुविधा तथा घर से दूर रह कर अध्ययन करने हेतु इन्हें आवास सहायता के रूप में घर का किराया भी दिया जाता है।

5.2. कौशल विकास : अनुसूचित क्षेत्रों में कौशल विकास पहलों के कार्यान्वयन हेतु जनजातियों के लिए सरकार द्वारा एक अलग उप–मिशन का गठन किया गया है। बेरोजगार जनजातीय युवाओं को स्वयं और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों/निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कौशल विकास गतिविधियों से इनके जीवन में गुणात्मक प्रभाव पड़ा है।

5.3. बुनियादी ढाँचा विकास : सरकारी योजनाएँ अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और सिंचाई सुविधाओं जैसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित होती हैं। बेहतर बुनियादी ढाँचा एवं संम्पर्क, बाज़ारों तक पहुँच और बुनियादी सेवाओं को बेहतर बना सकती है। अतः बुनियादी ढ़ांचे के विकास से जनजातीय क्षेत्रों व जनजातीयों के आर्थिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5.4. आजीविका सहायता : कई सरकारी योजनाएँ जनजातीय समुदायों में आजीविका विकास के लिए सहायता प्रदान करती हैं। इस सहायता में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य आय–सृजन गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाता है। जनजातीय युवाओं को कौशल और संसाधनों से परिपूर्ण करके, इन्हें योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका बनाने और निर्वाह कृषि या वन संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद करती हैं।

5.5. वित्तीय समावेशन : सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूहों जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आदिवासी उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने, उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है।

5.6. जनजातीय कल्याण कार्यक्रम : विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम जनजातीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और पोषण आदि को लक्षित करते हैं। इन सामाजिक–आर्थिक संकेतकों को संबोधित करके ये योजनाएँ समग्र मानव विकास और कल्याण में योगदान करती हैं। साथ ही जनजातीय कल्याण कार्यक्रम जनजातियों के आर्थिक प्रगति की नींव तैयार करते हैं।

5.7. भूमि एवं वन अधिकार : भूमि एवं वन अधिकार जनजातीय समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये लोग प्रायः अपनी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए इन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण पर केंद्रित सरकारी योजनाएँ भूमि विस्थापन को रोक सकती हैं, सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकती हैं और प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित कर सकती हैं। जिससे इनके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

5.8. कौशल विकास और रोज़गार : जनजातीय युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की पहल बेरोज़गारी और अल्प–रोज़गार की समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। इनको कौशल प्राप्ति के अवसर प्रदान करके और बाज़ारों तक पहुँच को सुगम बनाकर, ये योजनाएँ आदिवासी व्यक्तियों को विविध तरीके से करियर निर्माण हेतु विकल्प तलाशने और आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाती हैं।

5.9. बाज़ार संपर्क और मूल्य संवर्धन : जनजातीय उत्पादों के लिए बाज़ार संपर्क और मूल्य संवर्धन को सुगम बनाने वाले सरकारी हस्तक्षेप जनजातीय उत्पादकों की आय बढ़ा सकते हैं। विपणन सहकारी समितियों की स्थापना, बाज़ार अवसंरचना की स्थापना और आदिवासी उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रमाणन को बढ़ावा देने जैसी पहल बाज़ार पहुँच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार ला सकती हैं।

जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें योजनाओं का निर्माण, डिज़ाइन और कार्यान्वयन, स्थानीय संदर्भ और परिस्थितियाँ, सामुदायिक भागीदारी और प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र शामिल हैं। सोच–समझकर निर्मित और कार्यान्वित की गई योजनाओं में सकारात्मक बदलाव लाने और जनजातीय समुदायों के समग्र विकास में योगदान देने की क्षमता है।

6. निष्कर्ष

भारत के संविधान द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त देश के नागरिकों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता, व्यक्तिगत गरिमा का आश्वासन इत्यादि सभी कुछ सुनिश्चित किया गया है। भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और संवर्धन हेतु कई प्रावधानों से समृद्ध है, जिससे इन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जा सके। सराकरी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से जनजातियों को उनकी आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदण्ड में भी विशेष छूट देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इनके शैक्षिक उत्थान के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू की है। वहीं निम्न साक्षरता वाले गांवों व कस्बों के लिये जनजातीय कन्या शिक्षा योजना जनजातीय लड़कियों के लिये लाभाकारी सिद्ध हो रही है। वास्तव में, सामाजिक–आर्थिक विकास जनजातियों के जीवन में सुधार की एक प्रक्रिया है। विकास की इस प्रक्रिया ने जनजातीय जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। विकास योजानाएँ जनजातियों के आर्थिक कल्याण के लिये एक विशिष्ट उपाय है। विकास कार्यो के क्रियान्वयन से जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता, अवसर तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भ स्रोत :

1. चौहान, रेनू, भारतीय आदिवासी जनजातियों के उत्थान के लिए आर्थिक नीतियॉ, हिस्टोरिकल रिसर्च जर्नल, मार्च 2016, 2 (7) : 1–5
2. गौतम, एन. के., जनजातियों का विकास और सहाकारी प्रयास, कुरूक्षेत्र, 2008, 55 (2) : 34–38
3. गुप्ता, अंजलि, बदलते परिवेश में जनजातीय समस्याएँ एवं कल्याणकारी योजनाएँ, कुरूक्षेत्र, 2008, 55 (2) : 3–7
4. कटारिया, एस. के., जनजाति कल्याण : नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, करूक्षेत्र, दिसम्बर, 2008, 55 (2) : 39–41
5. नाइक, रूपला एवं दशरथरमैया, के., आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक विकास : एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नन ऑफ इकोनॉमिक्स, 2019, 7 (4) : 9–19
6. परिहार, मृगेन्द्र सिंह, विकास कार्यक्रमों का जनजातीय जीवन पर प्रभाव (सीधी जिला के विशेष संन्द्रर्भ में) अप्रकाशित शोध प्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), सितम्बर 2004
7. सिंह, एम. पी. (1988), मध्य प्रदेश की जनजातियों पर विकास योजनाओं का प्रभाव, काशी विद्यपीठ, वाराणासी
8. सिंह, बी. पी., सिंह, प्रकाश, जे. एवं परिहार, एन. एस., सीधी जिले में जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, जर्नल ऑफ एडवास रिसर्च, 2015, 1 (1) : 33–43
9. शर्मा ब्रह्मदेव (1986), आदिवासी विकास एवं सैद्धांतिक विवेचन, तृतीय आवृत्ति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
10. सांख्यिकी पुस्तिका, 2016, जिला सांख्यिकी एवं योजना कार्यलय, सीधी (म.प्र.)
11. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002), जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
12. वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023–24, जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
13. विकासात्मक योजनाएँ, जनजातीय विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
14. वैद्य, नरेश कुमार (2003), जनजातीय विकास, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली